

UPKJ010008312026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी- हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP6489**

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-348/2026

1. कमलेश पुत्र बालकराम,
 2. महेश पुत्र बालकराम,
 3. जितेन्द्र पुत्र बालकराम,
 4. रामदेव पुत्र बालकराम,
- निवासीगण-ग्राम भगवन्तपुर, थाना छिबरामऊ, जिला कन्नौज।अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-96/2026

धारा-191(2), 190, 115(2), 352,

121(2), 132, 351(3) बी.एन.एस.

थाना-छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण कमलेश, महेश, जितेन्द्र एवं रामदेव द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण जेल में निरुद्ध है।
2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उन्हें परोक्त अपराध में रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप पूर्णतया मिथ्या हैं। प्रार्थीगणों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही आज तक किसी भी प्रकार के मुकदमे में सजा हुई है। प्रार्थीगणों ने वादी मुकदमा के साथ न तो कभी कोई मारपीट की और न ही कभी कोई गाली गलौज किया और न ही किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक या कोई पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट की एवं न ही सरकारी कार्य में बाधा डाली है। प्रार्थीगण के गांव में भगवानदास से कुछ कहासुनी हो गयी थी, भगवानदास ग्राम प्रधान का आदमी है, जिस कारण ग्राम प्रधान द्वारा फोन करके झूठे आरोप लगाकर पुलिस से पकड़वा दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ कोई मारपीट व गाली गलौज नहीं किया गया है। घटना वाले दिन होली का त्योहार था तथा गांव के सभी लोग होली खेल रहे थे। दरोगा जी नशे की हालत में गांव आये और गाड़ी से उतरते ही सड़क पर गिर गये, जिससे उनके चोटें आईं। ग्राम प्रधान के कहने पर दरोगा जी द्वारा उपरोक्त मुकदमें में उन्हें झूठा फंसा दिया गया।

प्रार्थीगण दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार कन्नौज में निरुद्ध हैं। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते हुये ईंट पत्थर एवं लाठी डण्डों से मारपीट की गई एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 04.03.2026 को होली के पर्व पर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु मय हमराह हे0का0 351 उमेश चन्द के चौकी क्षेत्र सौरिख रोड में मामूर था कि जरिये दूरभाष प्रधान के लड़के द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम भगवन्तपुर में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रही है इस सूचना पर मैं उप निरीक्षक मय हमराह हे0का0 351 उमेश चन्द के ग्राम भगवन्तपुर उपस्थित आया जहां पर प्रथम पक्ष के भगवानदास पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी भगवन्तपुर थाना छिबरामऊ कन्नौज एवं द्वितीय पक्ष के कमलेश पुत्र बालकराम, महेश पुत्र बालकराम, जितेन्द्र पुत्र बालकराम, रामदेव पुत्र बालकराम, प्रान्शू पुत्र महेश, विवेक पुत्र कमलेश, सर्वेश पुत्र जसराम, प्रियंका पुत्री कमलेश, रीना पत्नी महेश, अंजली पुत्री रामदेव निवासीगण भगवन्तपुर थाना छिबरामऊ कन्नौज को समझाया गया तो प्रथम पक्ष के भगवानदास मौके से चले गये द्वितीय पक्ष के सभी लोगों से जाने के लिये कहा तो सभी लोग उग्र एवं एक राय होकर एक सामान्य उद्देश्य से कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करते हुये मेरे साथ हांथापायी एवं लाठी डण्डों से हमला करते हुये मारपीट करने लगे एव मेरे सिर पर सरिया एवं ईंट पत्थर से प्रहार किया गया एवं मुझे बचाने आये दीवान जी उमेश चन्द के साथ भी मारपीट की घटना कारित की गयी एवं सरिया व ईंट पत्थर लगने के कारण मेरा सिर फट गया और मेरा काफी खून निकल गया एव मेरी वर्दी फाड़ दी एवं गन्दी गन्दी गालियां देकर अपमानित किया गया एवं आइन्दा देखने की धमकी दी गयी।

5. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली छिबरामऊ में मुकदमा अपराध संख्या-96/2026 धारा-191(2), 190, 115(2), 352, 121(2), 132, 351(3) बी.एन.एस. थाना कोतवाली छिबरामऊ में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दो पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ा होना विद्यमान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज कराया गया है। अभियोजन द्वारा यह भी नहीं दर्शाया गया है कि किसी घायल को ऐसी चोट आयी हो जो प्राणघातक प्रकृति की हो। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए

गये आरोपों के समर्थन में कोई विशिष्ट एवं ठोस साक्ष्य इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा ही जान से मारने की नियत से कोई गंभीर अथवा प्राणघातक हमला किया गया हो। अभियोजन कथानक में वर्णित कथित घटना सामूहिक व सामान्य आरोपों पर आधारित प्रतीत होती है तथा **अभियुक्तगण की कोई पृथक एवं विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की गई है।** अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण कमलेश, महेश, जितेन्द्र एवं रामदेव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-96/2026, अपराध अन्तर्गत धारा-191(2),190, 115(2), 352, 121(2), 132, 351(3) बी.एन.एस. थाना-कोतवाली छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उपरोक्त धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि की दाखिल करने पर निम्न शर्तों के बावत अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये कि-

I. अभियुक्तगण के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

II. अभियुक्तगण जमानत का दुरुप्रयोग नहीं करेंगे।

III. अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

उपरोक्त किसी शर्त के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपनी संतुष्टि पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है।

दिनांक-23.03.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-1 कन्नौज।

(J.O.CODE No-UP 6489)